सुची 14 – फारम संख्या 562

हेमराज महतो
पिता बदन महतो
ग्राम असढ़िया

# आदेश – पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 नियम 129)

आदेश पत्रक – ता0 ................................................से ................................................तक

जिला ......चतरा......सं0 ......43/16-17......सन् ................................................

केस का प्रकार ......संदेहात्मक......

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | सन्देहात्मक वाद का संधारण मुख्य सचिव झारखण्ड सरकार का पत्रांक 2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 तथा अपर समाहर्ता, चतरा का पत्रांक 462/रा0 दिनांक 17.05.2016 के आलोक में अवैध जमाबन्दी से संबंधित भूमि की सूचि उपलब्ध कराने हेतू आदेश प्राप्त है। राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मांग करें तथा अभिलेख दिनांक ......4.6.16...... को उपस्थित करें।<br>रैयत को नोटिस निर्गत करें।<br>अंचल अधिकारी,<br>चतरा।<br><br>अभिलेख उपस्थापित<br>हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के द्वारा खतियान एवं पंजी II के अवलोकन के पश्चात ग्राम ......असढ़िया...... के रैयत ......हेमराज महतो......, पिता......खाता संख्या ......43......, प्लौट संख्या ......, रकबा ......1.31½ डि0...... भूमि जो गैरमजरूआ खाते की है। भूमि में कायम अवैध जमाबन्दी से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है।<br>क्र0 \| खाता \| प्लौट \| रकबा \| लगान<br>— \| 43 \| — \| 1.31½ \| — | |

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आ... गई... बारे... तारीख |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | गैरमजरूआ जमीन पर कायम अवैध जमाबन्दी से संबंधित रैयत/रयैतो को नोटिस निर्गत कर जमाबन्दी कायम होने का आधार से संबंधित मूल कागजात की मांग करें एवं अभिलेख दिनांक 14.6.16 को उपस्थापित करें।<br><br>अंचल अधिकारी,<br>चतरा। | |
| 14.6.16 | विपक्षी उपस्थित होकर कागजात दाखिल किया है कागजात का अवलोकन किया गया मूल कागजात दिखावें। अभिलेख दिनांक 8.7.16 को रखें।<br><br>अं॰अ॰ | |
| 8.7.16 | विपक्षी द्वारा मूल कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। [illegible] एवं अंचल [illegible] के प्रतिवेदन [illegible] ग्राम [illegible] के खाता 70 प्लॉट 43 रकबा 1.30 एकड़ [illegible] पंजी II में दर्ज है परंतु आधार नहीं है [illegible] है।<br>अतः प्रस्तावित भूमि की जमाबन्दी रद्द की जाती है। अभिलेख [illegible] 3 40 [illegible] को भेजें।<br><br>अं॰अ॰ | |
| 6.7.18 | अभिलेख उपस्थापित किया गया। तत्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा जाँचोपरान्त जमाबन्दी रद्द करने की अनुशंसा की गई है। भूमि गैर॰खास खाते की है। जिसे रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता चतरा को भेजें। | |

Scanned with OKEN Scanner

| तिथि | पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर | अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| | अभिलेख उपस्थापित।<br>अभिलेख का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, चतरा द्वारा अभिलेख में उल्लेखित है कि विपक्षी का प्रश्नगत भूमि का पंजी ॥ में विवरण संदेहात्मक दर्ज है । फलतः जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।<br>अंचल अंधिकरी, चतरा के अनुशंसा के आलोक में जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा के माध्यम से अपर समाहर्त्ता, चतरा को भेजे।<br>16/7/18<br>भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।     अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा। | |

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.05 09:33:56 -07:00
Location: 192.168.1.41

Scanned with OKEN Scanner